रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 2, 1985 (कार्तिक 11, 1907)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 2, 1985 (KARTIKA 11, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	793
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1359
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	11
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1497
भाग II—खंड I—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	36879
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	777
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1881
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	179
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*सूचना प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	793
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1359
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1497
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	36879
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	777
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	1881
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	179
PART V—Supplement showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	

*Folios Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर, 1985

सं० 109-प्रेज/85—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हाजी अंसारी, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

6 सितम्बर, 1981 की रात्रि को बघी नदी के किनारे स्थित गांव सखुई में अपने साथियों के साथ गिरोह के नेता, अलगू की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई। डाकुओं का पता लगाने के लिए पुलिस ने दो दल बनाये। एक दल ने गांव को घेर लिया और दूसरा दल उस मकान के पास पहुंचा जहां डाकू छिपे थे। डाकुओं को पुलिस को समर्पण करने के लिए चेतावनी दी गई लेकिन वे हताश होकर शरण लेने के लिए नदी की ओर भागे। पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया। जब दल के अन्य सदस्य पीछे रह गए तो श्री हाजी अंसारी, कांस्टेबल, ने डाकुओं का पीछा करने में अनुकरणीय साहस दर्शाया। और अल्गू को लगभग पकड़ ही लिया था लेकिन वह बाढ़ आ रही नदी में कूद गया। श्री अंसारी अपने जीवन की परवाह न करते हुए, नदी में कूद गए और डाकू अल्गू को पकड़ने के लिए तेजी से तैरने लगे। उन्होंने अल्गू को पकड़ा और पानी के भीतर हाथापाई हुई। दुर्भाग्यवश कांस्टेबल भंवर में फंस गया और अपराधी ने तैर कर नदी पार कर ली। कांस्टेबल नदी में डूब गया और उसका शव 8 सितम्बर, 1981, को नदी से बरामद किया गया।

इस घटना में श्री हाजी अंसारी, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली, के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 सितम्बर, 1981 से दिया जाएगा।

सं० 110-प्रेज/85—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को, उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम चरण सिंह,
निरीक्षक,
प्रभारी, थाना कासगंज,
एटा (उत्तर प्रदेश)।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

4 जुलाई 1983 की रात को गांव नौरथा में डाका डालने के लिए श्री उदयवीर सिंह के बाग में जयपाल डाकू के गिरोह के एकत्र होने की सूचना मिली कासगंज एटा के थानेदार श्री राम चरणसिंह ने उपलब्ध बल तथा जनता से कुछ लाइसेंसधारियों को एकत्र किया और उनको दो दलों में विभाजित किया। एक दल का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया और दूसरा दल एक उप निरीक्षक की कमाण्ड में था। गांव नौरथा पहुंचने पर गिरोह की उपस्थिति की पुष्टि हो गई। श्री रामचरण सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल दक्षिण की ओर से आगे बढ़ा और दूसरा पश्चिम की ओर से आगे बढ़ा। अपराधियों को पुलिस की उपस्थिति का पता लग गया और उन्होंने गोली चलानी आरम्भ कर दी। श्री रामचरण सिंह निरीक्षक के नेतृत्व में दल रेंग कर डाकुओं की ओर बढ़ता रहा जबकि दूसरे दल ने गोली चलाकर उनको संरक्षण प्रदान किया। डाकुओं के काफी नजदीक पहुंचकर श्री रामचरण सिंह ने एक पी० एल० पी० कारतूस चलाया और उनको आत्म समर्पण करने के लिए ललकारा। फिर भी डाकुओं ने और भारी हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप श्री सिंह के बायें कंधे पर चोटें आई। चोटें लगने के बावजूद श्री सिंह ने धैर्य नहीं खोया और डाकुओं पर सामने से हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप गिरोह का नेता जयपाल घटनास्थल पर मारा गया। उसके अन्य साथी अंधेरे और खड़ी फसलों का लाभ उठाकर भाग निकले। कारखाने में बनी एक राईफल, कारखाने में बनी एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक, कारखाने में बनी एक 12 बोर पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला-बारूद, घटनास्थल से बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में, श्री राम चरण सिंह, पुलिस निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 जुलाई 1983 से दिया जाएगा।

सं० 111-प्रेज/85—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह तोमर
पुलिस उप अधीक्षक
राघोगढ़,
जिला गुना (मध्य प्रदेश)।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

यह सूचना प्राप्त हुई कि अफीम के अन्तर्राज्यीय तस्करों का एक कुख्यात गिरोह राजस्थान में अपने तस्करी के अड्डे से गुना जिले से होकर गुजरेगा। 17 अप्रैल, 1984, को थाना, कुम्भराज से चचौड़ा तक तस्करों की खोजबीन के दौरान श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह तोमर, पुलिस उप अधीक्षक, ने खटकिया के नजदीक अचानक एक जौंगा जीप देखी जो संदेहास्पद परिस्थिति में ए० बी० रोड की ओर जा रही थी। उन्होंने जांच करने के लिए जीप को रुकने का संकेत दिया लेकिन वह नहीं रुकी बल्कि रफ्तार तेज कर दी। श्री तोमर ने पुलिस की जीप में तेजी से पीछा किया। यह देखकर अपराधियों ने श्री तोमर पर दो बार गोलियां चलाई जिसके परिणामस्वरूप जीप का अगला शीशा टूट गया। श्री तोमर ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी 9 एम० एम० सेवा रिवाल्वर का प्रयोग किया और तेज दौड़ती हुई जौंगा के पिछले टायरों पर दो राउन्ड गोलियां चलाई जिसके परिणामस्वरूप टायर पंक्चर हो गये। जब जीप रुकी तो श्री तोमर अपनी जीप से कूद गए और जीप की सवारियों को काबू में कर लिया।

इस घटना में श्री सुरेन्द्र सिंह कुमार सिंह तोमर पुलिस उप अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप, नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 अप्रैल, 1984 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप-सचिव

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 1985

संकल्प

सं० 16(15)/85-बी० एस० पी० I—श्री के० सी० खन्ना ने, जो इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (इस्पात विभाग) के दिनांक 18 मार्च, 1985 के संकल्प संख्या आई० एल०-16(2)/85 के तहत "परियोजना प्रबन्धन" के कार्यवाही दल के अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे, त्यागपत्र दे दिया है।

सरकार ने श्री के० सी० खन्ना का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और उक्त दल के अध्यक्ष के रूप में श्री डी० आर० आहूजा, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र) को नियुक्त किया गया है।

प्रदीप बैजल, संयुक्त सचिव

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 1985

संकल्प

सं० 23022/23/74-सी० डी० टी०/सी० पी० डी०—भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि संकल्प संख्या 23022/23/74-सी० डी० टी०/सी० पी० डी०, दिनांक 13-6-1985 के साथ पठित संकल्प सं० सी०-टी-21(20)/72, दिनांक 6 जनवरी, 1973 के अधीन गठित स्थाई संयुजन समिति की संरचना में निम्नलिखित संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जायेगा :

"इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय के कोयला विभाग के अपर सचिव स्थायी संयजन समिति के अध्यक्ष होंगे।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति इन सभी को भेजी जाये : भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, राज्य सरकारें, अध्यक्ष, कोल इण्डिया लि०, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, ई० को० लि०/वे० को० लि०/भा० को० को० लि०/से० को०लि०/केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि०, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०, महालेखाकार वाणिज्य निर्माण और विविध, नई दिल्ली।

यह आदेश भी दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

स्वर्ण सिंह, अवर सचिव

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

खाद्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 1985

संकल्प

सं० ई-11015/12-84-हिन्दी—खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के संकल्प संख्या 11011/3/83-हिन्दी, तारीख 18 जून, 1983 और उसके बाद जारी किये गये सभी संकल्पों का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के लिये हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। इस समिति के सदस्य और कार्य इस प्रकार होंगे :—

1. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री लोक सभा के सदस्य	अध्यक्ष
2. श्री राम स्वरूप राम	सदस्य
3. श्री कैलाश चन्द्र यादव	सदस्य
राज्य सभा के सदस्य	
4. श्री लक्ष्मी नारायण	सदस्य
5. श्री जे० पी० गोयल	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि	
6. श्री भरत भाई एम० आंडेडरा	सदस्य
7. श्री पी० पणमुगम	सदस्य
स्वैच्छिक संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि	
8. डा० मशूलाल यदु, हिन्दी विभाग रायपुर विश्वविद्यालय, टूरी हटरी, रायपुर (मध्य प्रदेश)	सदस्य
9. श्री आनन्द जैन, सम्पादक सान्ध्य टाइम्स, (नवभारत टाइम्स) दिल्ली	सदस्य
10 श्री जयवन्ती हा शास्त्री, सम्पादक, यूनि वार्ता, यू० एन० आई०, नई दिल्ली	सदस्य
11. डा० एच० सी० वर्मा, रीडर, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक (हरियाणा)	सदस्य
12. प्रो० टी० वी० इन्नारा वारियर, केरल हिन्दी साहित्य मण्डल, चितूर रोड, कोचीन-682016(केरल)	सदस्य
13 श्री के० एम० मणि, हिन्दी के प्रोफेसर (अवकाश प्राप्त) मणि मन्दिरम, केशव दास पुरम त्रिवेन्द्रम-4 (केरल)	सदस्य
14. श्री वीरेन्द्र कुमार दुबे, व्याख्याता गोविन्दराम सकसेरिया अर्थ एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	सदस्य
15. श्री सूरज सिंह माता गड़ीपुड़ा, नांदेड़ (महाराष्ट्र)	सदस्य
अधिकारी	
16. सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार, नई दिल्ली	सदस्य
17. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
18. सचिव, खाद्य विभाग	सदस्य
19. अपर सचिव, खाद्य विभाग	सदस्य
20. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	सदस्य
21. संयुक्त सचिव (चीनी), खाद्य विभाग	सदस्य
22. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली	सदस्य
23. प्रबन्ध निदेशक, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली	सदस्य
24. प्रबन्ध निदेशक, माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
25. प्रबन्ध, निदेशक, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम, राजगढ़ रोड, गुवाहाटी	सदस्य

26. मुख्य निदेशक, शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य
27. संयुक्त सचिव, (हिन्दी के प्रभारी), खाद्य निगम	सदस्य-सचिव
28. सचिव, नागरिक पूर्ति विभाग	सदस्य
29. संयुक्त सचिव (हिन्दी के प्रभारी) नागरिक पूर्ति विभाग	सदस्य
30. संयुक्त सचिव (बोट तथा माप), नागरिक, पूर्ति विभाग	सदस्य
31. संयुक्त सचिव (खाद्य तेल), नागरिक पूर्ति विभाग)	सदस्य
32. महा प्रबन्धक, सुपर बाजार, नई दिल्ली	सदस्य
33. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नई दिल्ली	सदस्य
34. महा निदेशक, भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली	सदस्य
35. प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन नई दिल्ली	सदस्य
36. मुख्य निदेशक, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य

2. समिति के कार्य

इस समिति के कार्य खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय और उसके सम्बन्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित नीति सम्बन्धी ढांचे के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल इसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष तक होगा, परन्तु:—

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि अपने उन पदों पर हैं जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु, आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिये सदस्य रहेगा।

4. सामान्य

1. समिति आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिये विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकती है।

2. समिति का प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

5. यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते

गैर-सरकारी सदस्यों को समिति तथा उप समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिये भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक, लेखा नियंत्रक, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया गया है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

एस० डी० वंसल, संयुक्त सचिव

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 1985

संकल्प

सं० 21-43/84-उर्वरक आयोजन—भारत सरकार, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग के उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्यों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिये इस विभाग के तारीख 1 मई, 1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-6/83-एफ० ए० (सी० पी०) द्वारा "उर्वरक उपभोक्ता" मूल्य समिति नामक एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। डा० ए० एस० कहलन का समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के कारण डा० जी० वी० के० राव को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया गया है तथा समिति के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा भी नीचे दिया गया है :—

I. गठन :

1. डा० जी० वी० के० राव	अध्यक्ष
2 डा० पी० वी० नानोय, अपर सचिव (बी० बी० एस०), कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य-सचिव
3. डा० एन० एस० रंधावा, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, एवं सचिव, कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य
4. डा० आई० जेड भटी, महानिदेशक, राष्ट्रीय व्यवहारिक अर्थ अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य
5. डा० वाई० के० अलाघ, अध्यक्ष, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो, नई दिल्ली।	सदस्य
6. डा० जी० एस० भल्ला, अध्यक्ष, कृषि लागत और मूल्य आयोग, नई दिल्ली।	सदस्य
7. सलाहकार (कृषि), योजना आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
8. कार्यकारी निदेशक, एफ० आई० सी० सी०, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
9. श्री के० एस० बेस, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली	सदस्य

10. संयुक्त सचिव (उर्वरक), कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली, — सदस्य

11. अर्थ और सांख्यिकी सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली। — सदस्य

संयुक्त सचिव (एफ० टी०) कृषि और सहकारिता विभाग, समिति के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा समिति को हर प्रकार का तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

II. विचारार्थ विषय

(1) ऐसे सामाजिक-आर्थिक और सस्य विज्ञान सम्बन्धी पहलुओं का पता लगाना, जिससे उर्वरकों के उपयोग के जरिये फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता हो तथा उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति का संचालन करने के लिये विभिन्न मानदण्डों के सम्बन्ध में सुझाव देना। इन मानदण्डों में सिंचित और असिंचित दोनों फसलों के सम्बन्ध में लागत लाभ अनुपात, विशेष अंचल में उर्वरकों की खपत के स्तर तथा सिंचाई की मात्रा शामिल होगी।

(2) न्यूनतम लागत लाभ अनुपात के सम्बन्ध में सुझाव देना, जिससे किसानों को उर्वरकों के बढ़े हुए उपयोग के जरिये कृषि उत्पादन के लक्षित स्तरों को प्राप्त करने के लिये उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी।

(3) मिश्रित उर्वरकों में एन० पी०$_2$ ओ०$_5$ तथा के०$_2$ ओ० के पोषक तत्वों का मूल्य निर्धारित करने के तरीकों के सम्बन्ध म सुझाव देना।

(4) ऐसे नीति विषयक उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देना, जिसमें उर्वरकों के उपयोग की क्षमता में वृद्धि हो तथा इससे लागत लाभ अनुपात में सुधार हो।

(5) मिट्टी और फसल की आवश्यकताओं के आधार पर पोषक तत्वों के उचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए उत्पाद सम्बन्धी उपयुक्त प्रतिमानों को तैयार करने के सम्बन्ध में सिफारिशें करना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिये संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

वी० के० तेमिनी,
संयुक्त सचिव,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर 1985

संकल्प

सं० सं० एफ० 27-4/85-सी० एच०5—भारत सरकार के पास उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के लिये प्रशासनिक उत्तरदायित्व संभालने का प्रश्न विचाराधीन रहा है। यह उसके हर प्रकार से सम्पूर्ण विकास को सुकर बनाने के लिये है ताकि यह देश में संग्रहालय कार्यकलाप में प्रभावशाली ढंग से सहयोग दे सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये एक स्वायत्त निकाय, "इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी इलाहाबाद" खोलने का निश्चय किया गया है। सोसायटी का वर्तमान गठन जो उत्तर प्रदेश पंजीकरण सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है, वह निम्न प्रकार से है :—

1. प्रो० जी० सी० पाण्डे, भूतपूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, — अध्यक्ष

2. श्री अभिताभ बच्चन, संसद सदस्य — सदस्य

3. श्री वाई० एस० दास, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (संस्कृति विभाग) भारत सरकार — पदेन-सदस्य

4. श्री एल० एस० नारायणन, संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली। — सदस्य

5. श्री एस० सी० काला, इलाहाबाद। — सदस्य

6. प्रो० रविन्द्र कुमार, निदेशक, नेहरू स्मारक संग्रहालय, और पुस्तकालय, नई दिल्ली। — सदस्य

7. श्री बी० बी० सिन्हा, आयुक्त, इलाहाबाद प्रभाग, इलाहाबाद। — पदेन-सदस्य

8. श्री के० एस० बैदवान, संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली। — पदेन सदस्य

9. डा० एस० एम० नायर, निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली। — सदस्य

10. श्री सुरिन्द्र मोहन, सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। — पदेन-सदस्य

11. श्री जे० सी० पन्त, सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। — पदेन-सदस्य

12. श्री विनोद चन्द गुप्ता, संयुक्त सचिव, वित्त प्रभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। — पदेन-सदस्य

13. मनोनीत किया जाना है।

14. निदेशक, सचिव सदस्य
इलाहाबाद संग्रहालय,
इलाहाबाद ।

2. यह संस्था इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी के संघ के ज्ञापन की शर्तों और उसके नियम और विनियमों के अनुसार कार्य करेगी। इसके कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :—

(क) नगर निगम, इलाहाबाद से इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद की सभी देयोदेय के साथ इसका प्रशासन और प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यभार अपने हाथ में लेना और संग्रहालय की स्थापना और इसका रख-रखाव करना ।

(ख) संग्रहालय विकास के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसन्धान को संगठित करना, शुरू करना, आयोजित करना और उसे प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देना ।

(ग) कला वस्तुओं का अर्जन करना तथा उनका रख रखाव और संरक्षण करना ।

(घ) संस्थाओं के उद्देश्य और लक्ष्य को आगे बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए समान कार्य में लगी हुई संस्थाओं संगठनों के साथ सहयोग करना ।

(ङ) संग्रहालय में किये गये अध्ययन और अनुसन्धान के परिणामों को शामिल करते हुए पुस्तकों, संदर्शिकाओं, पत्रिकाओं के प्रकाशन को शुरू तथा उन्हें प्रोन्नत करना ।

(च) भारत तथा विदेश में विभिन्न स्थानों पर संग्रहालय के संग्रहों की प्रदर्शनी के लिये सहयोग करना ।

(छ) स्कूलों तथा कालेजों और अन्य सामुदायिक केन्द्रों तक कला और संस्कृति की कृतियाँ ले जाने के लिये श्रव्य-दृश्य सामग्री और अन्य मुद्रित सामग्री से सज्जित एक चलता-फिरता एकक स्थापित करना ।

(ज) विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, संग्रहालयों, स्कूलों तथा कालेजों और संग्रहालयों की योजना और उनके आयोजन से संबंधित अन्य निकायों को सहायता प्रदान करना ।

(झ) उन सभी कार्यकलापों को आरम्भ करना जो कि संग्रहालय के सभी कार्यों या किसी भी कार्य के संचालन में आवश्यक अथवा सहायक हो ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों और सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये ।

दिनांक 9 अक्तूबर 1985

सं० एफ० 7-6/84-सी० एच० 3—दिनांक 11 सितम्बर, 1984 के आंशिक संशोधन में श्री वाई० एस० दास, सचिव, संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को शेष अवधि के लिये डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन के स्थान पर केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के अधिशासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है ।

के० डी० गुप्ता, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर 1985

सं० क्यू-16011/3/85-डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में, भारत सरकार श्री अनिल बोदिया श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में तत्कालीन अपर सचिव के स्थान पर इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से कुमारी मीरा सेठ, अपर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

सं० क्यू-16011/3/85-डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(iii) के साथ पठित नियम 3 (ii) के अनुसरण में, भारत सरकार श्री अनिल बोदिया, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में तत्कालीन अपर सचिव के स्थान पर इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से कुमारी मीरा सेठ, अपर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

2 तदनुसार श्रम मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० क्यू-16012/3/79-डब्ल्यू० ई० तारीख 8 मई/15 मई, 1981 में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे:—

(i) वर्तमान प्रविष्टि, अर्थात् :—

"2. श्री अनिल बोदिया, सदस्य
अपर सचिव,
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय,
श्रम विभाग, भारत सरकार,
नई दिल्ली ।

(ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"2. कुमारी मीरा सेठ, सदस्य
अपर सचिव
श्रम मंत्रालय
भारत सरकार,
नई दिल्ली ।

चित्रा चोपड़ा, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 17th October 1985

No. 109-Pres/85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Haji Ansari, (Posthumous)
Constable, Gorakhpur.
Uttar Pradesh

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of the 6th September 1981, information was received about the presence of gang leader Algoo along with his accomplices in village Sekhui situated on the bank of river Bhagi. In order to locate the dacoits, the Police formed two parties. The first party surrounded the village while the second party reached close to the house in which the dacoits were hiding. The dacoits were challenged to surrender to the Police but they ran helter and skelter towards the river in desparation. The Police gave a hot chase to the dacoits. While all other members of the party were left behind, Shri Haji Ansari, Constable showed exemplary courage in chasing and had almost captured Algoo but he managed to slip into the flooded river. Shri Ansari, without caring for his life, jumped into the river and swam fast to capture dacoit Algoo He caught hold of Algoo and a hand-to-hand fight ensued inside the water. Unfortunately the Constable was caught in a whirlpool and the criminal managed to swim across The Constable drowned in the river and his body was recovered on 8th September, 1981 from the river.

In this incident, Shri Haji Ansari, Constable displayed conspicuous gallantry, exemplary courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th September, 1981.

No. 110-Pres/85.—The President is pleased to award Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ram Charan Singh,
Inspector of Police,
Incharge Police Station Kasaganj,
Etah, U.P.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of the 4th July, 1983 information was received that the gang of Jaipal dacoit would assemble in the Orchard of Shri Udaivir Singh in village Naurtha with a view to committing a dacoity. Shri Ram Charan Singh, Inspector, SHO Kasganj, Etah, collected available force and some armed licencees from the public and divided them into two parties. He himself led one party and the other party was under the command of a Sub-Inspector. On reaching village Naurtha, the presence of the gang was confirmed. The Police party, led by Shri Ram Charan Singh, proceeded from the southern side and the other party from the western flank. The criminals sensed the presence of the Police and started firing. The party led by Shri Ram Charan Singh, Inspector, continued to advance by crawling towards the dacoits with the help of covering fire from the second party. Having reached very close to the dacoits, Shri Ram Charan Singh fired a VLP cartridge and challenged them to surrender. However, the dacoits intensified their attack as a result of which Shri Singh sustained injuries on his left shoulder. Inspite of being injured, Shri Singh did not lose courage and made a frontal assault on the dacoits, killing the gang leader Jaipal on the spot. The other accomplices escaped taking advantage of the darkness and standing crops. One factory made rifle, one DBBL factory-made gun, one .12 bore factory-made pistol and large quantity of ammunition were recovered from the scene of occurrence.

In this encounter, Shri Ram Charan Singh, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Bar to the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th July, 1983.

No. 111-Pres/85—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Surendra Kumar Singh Tomar
Deputy Supdt. of Police,
Raghogarh, Distt. Guna (MP).

Statement of services for which the decoration has been awarded.

An information was received that a notorious gang of inter-State opium smugglers would pass through Guna District from their smuggling den in Rajasthan. In the course of his snooping quest for smugglers from Police Station Kumbhraj to Chachoda on the 17th April, 1984, Shri Surendra Kumar Singh Tomar, Deputy Superintendent of Police, suddenly spotted a Jonga Jeep near Khatkiya proceeding towards A. B. Road in suspicious circumstances. He signalled the jeep to stop for check-up but it did not stop and instead accelerated speed. Shri Tomar gave a hot chase in police jeep. On seeing this, the criminals fired twice on Shri Tomar as a result of which the windscreen of his jeep got damaged. With great presence of mind Shri Tomar used his 9 mm service revolver and fired two rounds on the rear tyres of the speeding Jonga, as a result of which the tyres got punctured. When the Jonga came to a halt. Shri Tomar jumped out of his jeep and overpowered the two occupants of Jonga Jeep.

In this incident, Shri Surendra Kumar Tomar, Deputy Superintendent of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17 April 1984.

S. NILAKANTAN
Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 11th September 1985

RESOLUTION

No. 16(15)/85-VSP.—Shri K. C. Khanna, who was appointed as the Chairman of the Action Group on "Project Management", vide Resolution No. IL-16(2)/85 dated 18th March, 1985 of the Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Steel), has resigned.

Government have accepted the resignation of Shri K. C. Khanna and have appointed Shri D. R. Ahuja, Chairman-cum-Managing Director, Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (Visakhapatnam Steel Plant) as Chairman of the said Group.

PRADIP BAIJAL, Jt. Secy

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 9th September 1985

RESOLUTION

No. 23022/23/74-CDT/CPD.—It has been decided by the Government of India that the following amendment shall be made with immediate effect in the competition of the SLC set up under the Resolution No. CI-21(20)/72 dated the 6th January, 1973 read with Resolution No. 23022/23/74-CDT/CPD dated 13-6-1985.

"Additional Secretary in the Department of Coal, Ministry of Steel, Mines and Coal, shall be the Chairman of the Standing Linkage Committee".

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries and Department of the Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Sectt., Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt., State Govt's, Chairman, Coal India Ltd., Chairman-Cum-Managing Director, E.C.L., Chairman/Managing Director, W.C.L., Chairman-Cum-Managing Director, B.C.C.L., Chairman/Managing Director, C.C.L., Chairman/Managing Director, Central Mine Planning & Design Institute Ltd., Chairman/Managing Director, Director, Singareni Collieries Co. Ltd., Accountant General, Commerce, Work and Miscellaneous, New Delhi.

Ordered also that the Resolution be published in the Gezette of India for general information.

SWARAN SINGH
Under Secy.

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF FOOD)

New Delhi, the 13th September 1985

RESOLUTION

No. E11015 12/84-Hindi.—In supersession of Resolution No. E-11011/3/83-Hindi, dated the 18th June, 1983 and subsequent Resolutions issued by the Ministry of Food & Civil Supplies (Department of Food), the Government of India have decided to re-constitute the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Food and Civil Supplies. The composition and the functions of the Samiti will be as follows :—

Chairman

1. Minister of Food & Civil Supplies.

Members of Lok Sabha

2. Shri Ram Swarup Ram.

Member.

3. Shri Kailash Chandra Yadav.

Members of Rajya Sabha

4. Shri Laxmi Narain.

5. Shri J. P. Goyal.

Representatives of the Committee of Parliament on Official Language

6. Shri Bharat Bhai M. Odedra.

7. Shri P. Shanmugam.

Representatives from voluntary organisations, etc.

8. Dr. Mannulal Yadu, Hindi Department, Raipur University, Truree Hatree, Raipur (Madhya Pradesh).

9. Shri Anand Jain, Editor, Sandhya Times (Nav Bharat Times), Delhi.

10. Shri Jaibanshi Jha Shastri, Editor, Uni-Varsa, U.N.I., New Delhi.

11. Dr. H. C. Verma Reader, Maharishi Dayanand University, Rohtak (Haryana).

12. Prof. T. V. Eachare Warrier, Kerala Hindi Sahitya Mandal, Chittoor Road, Cochin-682016 (Kerala).

13. Shri K. S. Mani, Professor of Hindi (Retired), Mani Mandiran Keshav Dass Puram, Trivandrum-4 (Kerala).

14. Shri Virendra Kumar Dube, Professor, Govind Ram Sakseria College of Economic and Commerce, Jabalpur (Madhya Pradesh).

15. Shri Suraj Singh Mala, Cadipuda, Nanded (Maharashtra).

Officials

16. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India, New Delhi.

17. Joint Secretary, Department of Official Language, New Delhi

18. Secretary, Deparmtent of Food.

19. Additional Secretary, Department of Food.

20. Additoinal Secretary and Financial Adviser, Ministry of Food and Civil Supplies.

21. Joint Secretary (Sugar), Department of Food.

22. Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi.

23. Managing Director, Cental Warehousing Corporation, New Delhi.

24. Managing Director, Modern Food Industries (India) Ltd., New Delhi.

25. Managing Director, North-Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation, Rajgarh Road, Guwahati.

26. Chief Director, Directorate of Sugar, New Delhi.

Member Secretary

27. Joint Secretary (Incharge of Hindi), Department of Food.

28. Secretary, Department of Civil Supplies.

Members

29. Joint Secretary (Incharge of Hindi), Department of Civil Supplies.

30. Joint Secretary (Weights & Measures), Department of Civil Supplies.

31. Joint Secretary (Edible Oils), Department of Civil Supplies.

32. General Manager, Super Bazar, New Delhi.

33. Managing Director, National Consumers Cooperative Federation, New Delhi.

34. Director General, Indian Standard Institute, New Delhi.

35. Managing Director, Hindustan Vegetable Oils Corporation, New Delhi.

36. Chief Director, Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils & Fats, New Delhi.

II. *Functions of the Samiti*

The Samiti would render advice to the Ministry of Food & Civil Supplies and its attached and subordinate offices on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes and on allied issues falling within the framework of the policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language).

III *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of its re-constitution provided that :—

(a) a member who is a Member of Parliament ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;

(b) ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti;

(c) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years.

IV. *General*

(i) The Samiti may coopt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-committees if it considers necessary;

(ii) the Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetnigs at any other station also.

V. *Travelling and other allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti/Sub-Committee of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administraitves, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Controller of Accounts, Ministry of Food & Civil Supplies and all the Ministries and Departments of the Government of India,

ORDERED also that the Resolution be published in Gazette of India for general information.

H. D. BANSAL, Jt. Secy.,

MINISTRY OF AGRICULTURAL & RURAL (DEPARTMENT OF AGRICULTURAL & COOPERATION)

New Delhi, the 30th August 1985

RESOLUTION

No. 21-43/84-Fert.Plg.—The Govt. of India in the Ministry of Agriculture & Rural Development, Deptt. of Agriculture & Cooperation has set up a high Powered Committee known as "Fertiliser Consumer Prices Committee" to go into all aspects of Consumer Prices of Fertilisers, vide this Deptt.'s Office Memorandum No. 1-6/83-FA(CP) dated 1st May, 1984. Subsequent to the Resignation of Dr. A. S. Kahlon from the chairmanship of the Committee. Dr. G. V. K. Rao has been aappointed as chairman of this Committee. The composition of the reconstituted Committee is as under its terms of reference ture also reproduced below :—

I. *COMPOSITION*

Chairman

1. Dr. G. V. K. Rao

Member Secretary

2. Dr. P. V. Shenoi,
Additional Secretary (PVS),
Deptt. of Agri. & Coopn.,
New Delhi.

Members

3. Dr. N. S. Randhawa,
Director General,
Indian Council of Agril. Research &
Secretary, DARE,
New Delhi.

4. Dr. I. Z. Bhatty,
Director General,
National Council of Applied,
Economic Research,
New Delhi.

5. Dr. Y. K. Alagh,
Chairman,
Bureau of Industrial Costs & Prices,
New Delhi.

6. Dr. G. S. Bhalla,
Chairman,
Commission for Agril. Costs & Prices,
New Delhi.

7. Adviser (Agriculture),
Planning Commission,
New Delhi.

8. Executive Director,
FICC,
Ministry of Chemicals & Fertilisers,
New Delhi.

9. Shri K. S. Bains,
Joint Secretary,
Deptt. of Heavy Industries,
New Delhi.

10. Joint Secretary (Fert.),
Deptt. of Agriculture & Coopn.,
New Delhi.

11. Economic & Statistical Adviser,
Deptt. of Agriculture & Coopn.,
New Delhi.

The Joint Commissioner (FT), Department of Agriculture & Cooperation will act as Joint Secretary to the Committee and will provide all technical assistance to the Committee.

II. *TERMS & REFERENCES*

(i) To ascertain socio-economic and agronomic factors which influence the crop production through use of fertilisers and to suggest various parameters which should govern the fertiliser pricing policy. These parameters should include cost benefit ratio both for irrigated and non-irrigated crops, level of consumption reached in particular region and the extent of irrigation.

(ii) To suggest a minimum cost benefit ratio which will induce the farmers to increase the use of fertiliser for achieving the targetted levels of agricultural production through increased use of fertiliser.

(iii) To suggest system for fixing nutrient prices of N, P_2O_5 & K_2O in complex fertilisers.

(iv) To suggest such policy measures which could result in increasing the efficiency of fertiliser use and improve the cost benefit ratio.

(v) To make recommendations for evolving a suitable product pattern keeping in view the appropriate use of nutrients based on soil and crop requirements.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution may be communicated to all concerned.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette India for General Information.

B. K. TAIMNI, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 7th October 1985

RESOLUTION

No. F.27-4/85/CH-5.—The Government of India, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, have had under consideration the question of assuming administrative responsibility for the Allahabad Museum, Allahabad in order to facilitate its all round development and to entble it to contribute more effectively to the museum movement in the country. Inorder to achieve this objective, it has been decided to set up an autonomous body, namely, "Allahabad. Museum Society", Allahabad. The present composition of the Society which has been registered under the Uttar Pradesh Registration Societies Act, is as follows :—

Chairman

1. Prof. G. C. Pande,
Former Vice-Chancellor,
Allahabad University.

Member

2. Shri Amitabh Bachchan,
Member of Parliament.

Ex-officio Member

3. Shri Y. S. Das,
Secretary,
Ministry of Human Resource Development,
(Department of Culture),
Government of India.

Ex-officio Member

4. Shri L. S. Narayanan,
Joint Secretary,
Financial Adviser,
Ministry of Human Resource Development,
Government of India,
New Delhi.

Members

5. Shri S. C. Kala,
Allahabad.

6. Prof. Ravinder Kumar,
Director,
Nehru Memorial Museum and Library,
New Delhi.

Ex-officio Member

7. Shri B. B. Sinha,
Commissioner,
Allahabad Division,
Allahabad.

Ex-officio Member

8. Shri K. S. Baidwan,
Joint Secretary,
Ministry of Information & Broadcasting.

Member

9. Dr. S.M. Nair,
Director,
National Museum of Natural History,
New Delhi.

Ex-officio Member

10. Shri Surendra Mohan,
Secretary,
Department of Cultural Affairs,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

Ex-officio Member

11. Shri J. C. Paint,
Secretary,
Department of Education,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

Ex-officio Member

12. Shri Vinod Chandra Gupta,
Joint Secretary,
Finance Department,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

13. To be nominated.

Member-Secretary

14. Director,
Allahabad Museum,
Allahabad.

2. The Society will function in terms of the Memorandum of Association of the Allahabad Museum Society and its rule and regulations. Some of its major functions are :—

(a) to take over the administration and management of the Allahabad Museum, Allahabad with all its assets and liabilities from the Municipal Corporation, Allahabad and to establish and maintain the museum.

(b) to organise, undertake, conduct, encourage and promote study and research in the field of museum development.

(c) to acquire, maintain and preserve the art objects.

(d) to collaborate with institutions/Organisations engaged in similar activities with a view to furthering the aims and objects of the institution.

(e) to undertake and promote publication of books, guide-books, periodicals and papers incorporating the results of the study and research carried out at the museum.

(f) to collaborate for exhibition of the collections of the museum at different places in India and abroad.

(g) to set up a mobile unit with audio-visual materials and other printed matters for taking the works of art and culture to schools and colleges and other community centres.

(h) to render assistance to universities, institutions, museums, schools and colleges or other bodies in planning and organising museums.

(i) to undertake all such activities as are necessary or conducive to the attainment of all or any of the museum activities.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministeries and Departments of the Government of India and to all State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 9th October 1985

No. F.7-6/84-CH-3.—In partial modification of notification number F.7-6/84-CH-3 dated 11th September, 1984, Shri Y. S. Das, Secretary, Department of Culture, Ministry of Human Resource Development, Government of India is nominated as Chairman of the Board of Governor of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi in place of Dr. (Mrs.) Kapila Vatsyayan for the residual period.

K. D. GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th October 1985

No. Q-16011/3/85-WE.—In pursuance of Rule-8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby nominate Ku. Mira Seth, Additional Secretary, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi as a member of the Governing Body of the Central Board for Workers Education vice Shri Anil Bordia, former Additional Secretary in the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi with effect from the date of issue of this Notification.

No. Q-16011/3/85-WE.—In pursuance of Rule 3(ii) read with Rule 4(iii) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby appoint Ku. Mira Seth, Additional Secretary, Ministry of Labour, Government of India as a member on the Central Board for Workers Education in Place of Shri Anil Bordia, former Additional Secretary in the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi from the date of issue of this Notification.

2. The following changes shall, accordingly, be made in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/3/79-WE dated the 8th/15th May, 1981, as amended from time to time.

(i) *For* the existing entry viz :—

"2. Shri Anil Bordia — Member
Additional Secretary,
Ministry of Labour & Rehabilitation,
Department of Labour,
Government of India,
New Delhi.

(ii) The following entry shall be *substituted* viz :—

"2. Ku. Mira Seth, — Member
Additional Secretary,
Ministry of Labour,
Government of India,
New Delhi.

CHITRA CHOPRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985